56

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 412892

वरिष्ठ कोषाधिकारी
09 OCT 2017
गाजीपुर

Ujjwal Kumar Singh

न्यास विलेख

स्व0 रणशेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, जमानियॉ–गाजीपुर

मैं उज्ज्वल कुमार सिंह उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व0 रणशेर सिह साकिन बरेसर तहसील जमानियॉ जिला गाजीपुर (उ0प्र0) जो कि पश्चात ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्ता के रूप में उल्लिखत हूँ। आज दिनांक 09.10.2017 को ट्रस्ट के घोषणा पत्र को निष्पादित कर रहा हूँ–

मेरी (उज्ज्वल कुमार सिंह) यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अपने पुज्य पिता स्व0 रणशेर [redacted] सिंह की स्मृति में क्षेत्र के सर्वांगिण विकास, जन कल्याण, शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास एवं समाज में उत्तम व आदर्श गुणों को स्थापित करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की इच्छा काफी दिनो से रही है। ट्रस्ट के गठन हेतु यह लेखपत्र भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Uksingh
[Ujjwal Kumar Singh]

क्रमांक 1536 दिनांक 9-10-17

500

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन न्यायिक लेख

क्रेता का नाम व पता

हस्ताक्षर

वैंकटेश चन्द्र पाण्डेय
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-33
ला० की अवधि 31 मार्च 2018 तक

Md. Anam (Advocate)
Zamania, Ghazipur
09/10/17

Prabhu Nath

Md. Anam (Advocate)
Zamania, Ghazipur
09/10/17

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

न्यास के उद्देश्यों (इस ट्रस्ट की "धारा–5 मुख्य उद्देश्यों में वर्णित समस्त उद्देश्यों) की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों–उपसाधनों का संग्रह किया जाये इसके निमित मै रू0 10000/– प्रदान करता हूँ।

ट्रस्ट की समस्त आय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी इसमे कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नही होगा जिसमें इस ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

1. **न्यास का नाम** स्व0 रणशेर सिंह मोमोरियल ट्रस्ट, जमानियाँ गाजीपुर।

2. **ट्रस्ट का कार्यालय** :ट्रस्ट की पंजीकृत कार्यालय निम्न पते पर स्थित है:–

जमानियाँ रेलवे स्टेशन तहसील जमानियाँ जनपद गाजीपुर (उ0प्र0) पिन कोड– 232331

3. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र** :ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

नोट– आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्यालय को अन्य उचित स्थान पर समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा व ट्रस्ट के उपर कार्यालयों की स्थापना समय–समय पर बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक में तय करने के उपरांत भारतवर्ष में कही भी की जा सकती है।

4. **ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता**: स्व0 रणशेर सिंह मोमोरियल ट्रस्ट, जमानियाँ गाजीपुर (उ0प्र0) भारतीय न्यास अधिनियम–1882 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम–1882 की वे समस्त धारा, नियम उपनियम लागू होंगे जो इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक है जो न्यायिक विभाग में व्यवहृत व मान्य है यह न्यास उक्त नियमों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

5. **ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य** ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्म निम्नलिखित है :–

1. विद्यार्थियों में उनके व्यक्तित्व का सर्वागिण विाकस तथा उनमे (स्वावलम्बन, राष्ट्र भक्ति एवं विश्व वन्धुत्व की

Uksingh

यास पत्र

10,000.00	200.00	100	300.00	40
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री उज्ज्वल कुमार सिंह
पुत्र श्री स्व0 रणशेर सिंह
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी बरेसर प0 जमानिया जिला गाजीपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 9/10/2017 समय 2:26PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम पाण्डेय
उपनिबन्धक
जमानिया
9/10/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री उज्ज्वल कुमार सिंह
पुत्र श्री स्व0 रणशेर सिंह
पेशा कृषि
निवासी बरेसर प0 जमानिया जिला गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान प्रभु नाथ
श्रीराम
पेशा नौकरी
निवासी बरेसर प0 जमानिया जिला गाजीपुर
व सुनील सिंह एड0
पेशा वकालत
निवासी तह0 जमानिया जिला गाजीपुर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम पाण्डेय
उपनिबन्धक
जमानिया
9/10/2017

भावना जागृत करना व विद्यार्थियों में चारित्रिक, मानिस तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना)।

2. प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, लॉ कालेज, बी0टी0सी0, बी0एड0, गर्ल्स कालेज आदि शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
3. तकनीकी, गैर तकनीकी, औद्योगिक, वोकेसनल व चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
4. प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
5. पुस्तकालय व वाचनालय स्थापित करना।
6. विभिन्न खेलों के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
7. साहित्य कला और भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु निबंध, वाद– विवाद, कला व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसाद करना।
9. एड़स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार–प्रसार करना।
10. थ्कसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु कार्य करना।
11. ट्रस्ट भूमि, भवन की पूंजी की व्यवस्था कर देश–प्रदेश के किसी भी स्थान पर अपने उद्देश्यों में वर्णित संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल,

न्यासी

Registration No.: 56 Year : 2017 Book No. : 4

0101 उज्ज्वल कुमार सिंह

स्व0 रणशेर सिंह

बरेसर प0 जमानिया जिला गाजीपुर

कृषि

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा।

12. ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का आवश्यकतानुसार सहायता करेगा।

13. सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करेगा।

14. किसी निजी भूमि को कय–विकय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

15. संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12A, 80G, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना।

16. सरकार द्वारा चलायी जाने वाली परियोजनओं को जनता के हित में संचालन करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित लोगो को लाभान्वित कराना।

17. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी बैंक से ऋण ले सकता है अपनी सम्पत्ति को गिरवी रख सकता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऋण दे सकता है।

18. शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आयाम स्थापित करने वाले मेधावी छात्रों व छात्राओं तथा कर्तव्यनिष्ठा शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान करना और उन्हे प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

गवाह

Book No. : 4

Registration No.: 56 Year : 2017

W1 प्रभु नाथ

श्रीराम

बरेसर प0 जमानिया जिला गाजीपुर

नौकरी

W2 सुनील सिंह एड0

तह0 जमानिया जिला गाजीपुर

वकालत

19. बहुत गरीब परिवार से सम्बन्धित छात्र–छात्राओं तथा विकलांग बच्चों को मुफ्त या रियायती शिक्षा प्रदान करना।

20. गरीब, दलित, विकलांग एवं बेसहारा महिलाओं बुजुर्गो, सैनिकों, विधवाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के विकास एवं संरक्षण तथा पालन हेतु शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की व्यवस्था करना।

21. स्कूलों, कालेजों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को अन्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजूकेशन के सम्बन्धित शैक्षणिक संसीान स्थापित करने व उनके संचालन सम्बन्धित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ सरकारी मदद व मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्धित सलाह प्राद करेगी।

22. आम जनता के उपयोग के लिए कम्यूनिटी हाल, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, महिल आश्रम, ध्यान मैडिटेशन, आश्रम व योग व्यायाम आश्रम, वाटर पार्क, कृषि शिक्षा केन्द्र खेती , प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, साधन केन्द्र, हास्टल, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, शौचालय, बालवाणी, आगनबाड़ी, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेन्सरी, हास्पीटल, मेडिकल कालेज, स्टेडियम और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना व इनका संचालन करना।

23. अंधो, गुंगो व बहरो, मानसिक शारीरिक विकलांग, वृद्धो के लिए पूर्नवास योजना चलाना।

24. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प या तुफान आदि के समय पीड़ितो को चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया करानाऔरहर समय सहायता प्रदान करना।
25. खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, व कला आदि के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान महिलाओं, पुरूषों व बच्चो को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना तथा एवार्ड व प्रशस्तिपत्र देना।
26. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं कसे आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
27. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर आयोजन करना।
28. समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें व सोविनियर प्रकाशित करना व इनके वितरण की व्यवस्था करना।
29. कन्याओं की भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना।
30. अन्य ऐसे सभी न्यायसंगत कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता / प्रासंगिक है।

6. **ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप–** ट्रस्ट के गठन हेतु मुख्य ट्रस्टी सहित अधोलिखित व्यक्ति ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्टी होंगे–

क्रं0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	उज्ज्वल कुमार सिंह	स्व0 रणशेर सिंह	ग्राम बरेसर जमानियाँ गाजीपुर,उ0प्र0	मुख्य ट्रस्टी
2	श्रीमती नंदिता सिंह	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह	612 मानस इन्क्लेव कालोनी इन्दिरा नगर लखनऊ, उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी
3	श्रीमती सरस्वती देवी	स्व0 रणशेर सिंह	ग्राम बरेसर जमानियाँ गाजीपुर,उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी
4	श्री हरीश नारायण सिंह	स्व0 एस0एन0सिंह	के 67/110ईश्वरगंगी नई बस्ती वाराणसी उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी
5	श्री बी0एन0सिंह	स्व0 हवलदार सिंह	ग्राम मनिहरा पो0 खड़ेहरा जिला चन्दौली उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी
6	श्री प्रभात चतुर्वेदी	डा0 एच0के0 चतुर्वेदी	203–ए शास्त्रीनगर बेतियाहाता गोरखपुर, उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी
7	श्री उपेन्द्र यादव	स्व0 भरत यादव	ग्राम बरेसर जमानियाँ गाजीपुर,उ0प्र0	सदस्य ट्रस्टी

उपरोक्त न्यासीगण आजीवन इस ट्रस्ट के न्यासी बने रहेंगे जब तक की इनमें कोई संशोधन या बदलाव नही लाया जाये।

7. **ट्रस्ट के सदस्य–** ट्रस्ट की धारा 6 में उल्लिखित सदस्य ट्रस्टी के अलावा अन्य सदस्य ट्रस्टीयों की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक द्वारा निर्धारित नियम/व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

8. **न्यास/ट्रस्ट के सदस्यों के सदस्यों के सदस्यता की समाप्ति–**

ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी सदस्य की सदस्यता निम्न आधार पर ट्रस्टी सदस्यों के बहुमत से (जिसमे मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है) समाप्त किया जा सकेगा।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर ।

Uksingh

4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र प्राप्त होने पर।
5. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहने पर।
6. नैतिक अपराध पर न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

9. **रिक्त स्थानो की पूर्ति**–साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की सहमति से योगय व्यक्तियों के द्वारा रिक्त स्थानो की पूर्ति की जायेगी।

10. **संशोधन/नियुक्ति का पंजीयन**–

न्यास विलेख में किसी भी प्रकार का संशोधन या नियुक्ति का पंजीयन सब रजिस्ट्रार जमानियाँ के यहाँ मुख्य संरक्षक ट्रस्टी या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य ट्रस्टी/व्यक्ति द्वारा कराया जा सकेगा।

11. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –**

(अ) **मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –**

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्थाओं के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।
2. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) द्वारा के कार्यहित में किए जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. ट्रस्ट के साधारण सभी एवं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानता होन पर एक निर्णायक मत देना।

5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना व कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7. ट्रस्ट के बाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट के विकास के लिए तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट के विकास के लिए तमाम संसाधन को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।
8. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन का क्रय अथवा लीज (पट्टा) कराना व आवश्यकतानुसार संस्था की भूमि भवन का विक्रय करना अथवा लीज (पट्टा) पर देना एवं वादो के निस्तारण की पैरवी करना।
9. ट्रस्ट के नये सदस्य ट्रस्टी बनाने एवं सदस्य ट्रस्टीयों की पदोन्नति एवं निष्कासन करने का अधिकार मुख्य संरक्षक ट्रस्टी होगा।
10. ट्रस्ट की उन्नति हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित कर योजनाऐं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के हित में समस्त प्रकार के कार्यो का सम्पादन कररना।
11. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार ट्रस्ट के लिए लाभदायक हो।

12. <u>ट्रस्ट न्यास के अंग</u> :–ट्रस्ट के निम्नलिखित अंग है–

(1) साधारण सभा

(2) प्रबंधकारिणी समिति

(1) <u>साधारण सभा</u> :–

(अ) <u>गठन</u> :–

साधारण सभा के अधिकतम 15 सदस्य होंगे जिसमें अभिलेख की धारा 6 में उल्लिखित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे यानि अभिलेख की धारा 6 में उल्लिखित व्यक्तियों को मिलाकर अधिकतम 15 सदस्य होंगे।

(ब) <u>बैंठक– निम्नांकित दो बैठके होंगी</u> –

1– <u>सामान्य बैठक–</u>

ट्रस्ट के साधारण सभी की सांमान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह के प्रथम सप्ताह में होगी।

2– <u>विशेष बैठक–</u>

आवश्यकता पड़ने पर प्रधान न्यासी साधारण सभी की विशेष बैठक बुला सकता है।

(क) <u>सूचना अवधि–</u>

सधारण स्थिति में मुख्य संरक्षक/प्रधान न्यासी एक सप्ताह के पूर्ण बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभी

Ukeih

के ट्रस्टियों को बैठक बुलायी जा सकती है। बैठक की सूचना दूरभाष/सूचना रजिस्टर के माध्यम से दिया जायेगा ।

(ख) गणपूर्ति –

बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम साधारण सभा के सदस्यों व न्यासीगणके कुल संख्याका 2/3 अनिवार्य होगा।

(ग) **ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य –' साधारण सभा के ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –**

1. वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) के विकास के हेड अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
3. प्रधान न्यासी को विभिन्न विषयों पर उचित संहाल देना।
4. वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

(2) प्रबन्धकारिणी समिति –

(अ) गठन–अभिलेख को धारा–6 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष मुख्य संरक्षक/प्रधान ट्रस्टी होगा।

Uksh

(ब) **बैठक–** निम्नांकित दो बैठके होगी–

1– सामान्य बैठक–

सामान्य स्थिति में ट्रस्ट मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

2– **विशेष बैठक** –

विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के पास होगा।

(स) **सूचना अवधि–**

सधारण स्थिति में मुख्य संरक्षक ट्रस्टी एक सप्ताह के सूचना पर प्रबंधकारिणी ट्रस्ट समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे पहले।

13. **मुख्यसंरक्षक ट्रस्टी/अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी पर का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण–**

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य है कि यह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की व्यवस्था कर दें।
2. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी यह व्यवस्था सब रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अगला मुख्य संरक्षक ट्रस्टी कौन होगा? मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा अपने जीवन काल

में की गयी वसीयत/इच्छा पत्र ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

4. यह कि स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपनी कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

14. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का विशेषाधिकार –

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत सदस्य ट्रस्टी/उत्तराधिकारी/कार्यरत कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधन कर सकता है। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अंतिम रूप से मान्य व स्वीकार होगा।

15. उपाध्यक्ष की नियुक्ति–

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा व उनके कार्य व अधिकार को निर्धारित कर सकेगा।
2. उपाध्यक्ष मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेगा। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उपाध्यक्ष के कार्यों से असंतुष्ट होने पर उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटा सकता है व उक्त

पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकार को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

16. **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति–**

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखभाल करने के लिए एक सचिव एव आवश्यकता पड़ने पर उपसचिव की नियुक्ति कर सकेगा व उनके कार्य व अधिकार को निर्धारित कर सकेगा।
2. सचिव/उपसचिव के कार्य से असंतुष्ट होने पर मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये सचिव/उपसचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पर दुसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकारों को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

17. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –**

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

18. **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –**

ट्रस्ट के सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार है–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

Ukl

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कियाकलापों एव दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्ति तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से कर सकता है।
4. विभिन्न कार्यकलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठो/विभाग केन्द्रो/संस्थाओं/उपसंसीओं का गठन कर सकना व उनके संयोजको/निर्देशकों/.पदाधिकरियों आदि के संचान हेतु आवश्यक नियम/उपनियम मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अनुमति से बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से समिति गठित करना।
6. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/विक्रय की सर्वोत्त व्यवस्था करना।
7. जनमानस के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करना।

19. <u>ट्रस्ट (न्यास) का कोष–</u>

स्व0 रणशेर सिंह मोमोरियल ट्रस्ट, जमानियॉ गाजीपुर के पास रू0 10000–00 प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा। जिसका संचालन मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों

Usgh

के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई, कार्यालय का पृथक नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में ट्रस्ट अध्यक्ष/मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गय निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

20. **न्यास/ट्रस्ट के अभिलेख –** न्यास/ट्रस्ट के अभिलेख निम्नलिखित होंगे।

1. कार्यवाही रजिस्टर।
2. सदस्यता रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैशबुक आदि।
5. आय–व्यय रजिस्टर।

21. **ट्रस्टी (न्यास) के आय–व्यय के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार योग्य आडिटर से संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण किया जायेगा। जिसकी नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

22. **विधिक कार्यवाही –**

यदि संस्था/ ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से न्यायालयों में पैरवी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

23. **सम्पत्ति सम्बन्धित–**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सीाी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर स`चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है किराये पर रख सकता है अथवा ले सकता है। इसके लिए मुख्य संरक्षक ट्रस्टी स्वतंत्र है।
5. ट्रस्ट किसी ऋण, दान, उपहार, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट अपने धन को किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि भी किसी योजना में सम्पत्ति विनियोजित कर सकता है।
7. ट्रस्ट के सभी अभिलेख मुख्य ट्रस्टी के पास रहेंगे या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियुक्त सदस्य के पास रहेंगे।

8. ट्रस्ट के सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्टी द्वारा नियुक्त सदस्य के अधोहस्ताक्षरित से होगा।

24. संशोधन–

ट्रस्ट के वर्तमान नियमों में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर साधारण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। साधारण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर किये गये सभी संशोधन सर्वमान्य व अंतिम माना जायेगा।

25. आकस्मिक व्यवस्था–

ट्रस्ट के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

26. यह कि यह ट्रस्ट व्यक्तिगत है।

27. विशेष–

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यकम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस प्रलेख स्व0 रणशेर सिंह मोमोरियल ट्रस्ट, जमानियाँ गाजीपुर के उद्देश्यो एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिकमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिकमण की सीमा तक शून्य होगा।

यह ट्रस्ट सामाजिक जनकल्याण शैक्षिक विकास एवं चैरिटेबुल कार्य हेतु है जो धर्म जाति वर्ग समुदाय और राजनिति से उपर उठकर कार्य करेगी।

अतः हम मुख्य संरक्षक ट्रस्टी/निष्पादनकर्ता इस न्यास विलेख पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को खूब पढ़ व पढ़वाकर सुन व इसके विधिक प्रभाव को समझकर स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी जोर व दबाव से तहरीर व तकमील कर समक्ष गवाहान अपना हस्ताक्षर बनाकर यह न्यास विलेख पत्र निष्पादित कर दिया ताकि वक्त जरूरत पर काम आवे एवं प्रमाण रहे। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी भारतीय नागरिक है व मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का प्रमाणित फोटो चेहरे से मिलान करके दस्तावेज पर चस्पा है।

नोट– पृष्ठ संख्या 1 के सतर–6 में काला स्याही का धब्बा है। Ukesh

दिनांक– .09.10.2017

मु० एनाम एड०

मसविदाकर्ता– मु0 एनाम (एडवोकेट), तहसील जमानियाँ।

टाइपकर्ता– सुरेश कुमार

Uk Singh
हस्ताक्षर मुख्य संस्थापक/न्यासकर्ता

साक्षीगण 1 Bablu Nath S/o Shri Ram
Vill - Baresar Post - Zamania - Dist - Ghazipur

साक्षीगण 2 सुनील सिंह यादव एडवोकेट
तहसील जमानियां, गाजीपुर

आज दिनांक **09/10/2017** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **19**

पृष्ठ सं. **119** से **158** पर कमांक **56**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम पाण्डेय

उपनिबन्धक

जमानिया

9/10/2017